प्रेषक,

डा0 राकेश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 07 अगस्त, 2019

विषयः- राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में नये नलकूप के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी0एस0जी0-05/बजट/2019-20, दिनांक 14-5-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में नये नलकूप के निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज द्वारा गठित आगणन (प्रारम्भिक लागत रू0 38.73 लाख) उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित लागत रू0 38.73 लाख पर अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 लेखाशीर्षक "4058-103-03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीनों तथा उपकरणों एवं संयंत्र का क्रय-24-वृहद निर्माण कार्य मद में बजट प्राविधानित धनराशि रू0-50.00 लाख में से राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में नये नलकूप के निर्माण कार्य हेतु रू0-38.73 लाख (रूपये अड़तीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) कार्यदायी संस्था द्वितीय निर्माण खण्ड (वि0/य0) उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज द्वारा प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, मुद्रण द्वारा आहरित कर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) निर्गत की जा रही धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा तथा परियोजना के समस्त कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में पर्ण कर लिये जायेंगे।

(4) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रयागराज तथा अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड (वि0/य0) उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(5) निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था द्वितीय निर्माण खण्ड (वि0/य0) उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज का होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य को निर्धारित विशिष्टियों/मानको के अनुसार किया जाय ।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(6) कार्यदायी संस्था द्वितीय निर्माण खण्ड (वि0/य0) उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज द्वारा प्रस्तावित कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वितीय निर्माण खण्ड (वि0/य0) उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज द्वारा निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 लेखाशीर्षक "4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय-103-सरकारी मुद्रणालय-03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीनों तथा उपकरणों एवं संयंत्र का क्रय-24-वृहद निर्माण कार्य" मद से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राकेश वर्मा)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 06 /2019/619(1)/77-2-2019-तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखाएवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुखसचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज ।
7- अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड (वि0/य0) उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज
8- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
10- नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in